FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

किस्म मुकदमा - इजराय

बनवारीलाल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

मुकदमा नम्बर - 10 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-06-2025	वकील डिक्रीदार श्री रघुनाथ सिंह शखावत एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। इस न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 30.04.2025 की पालना मे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
16.09.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 588 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा राजस्व रिकाड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसला ... को स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल ... दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। नामा० सं. 588 दिनांक 16/07/25 द्वारा अमल दरामद किया गया। [हस्ताक्षर] 27/08/25 पटवारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:18:04 IST
Reason: SelfAttested